cgtmse

संदर्भ संख्या/सीजीटीएमएसई/परिपत्र/331 मार्च 18, 2026

सभी पात्र ऋणदात्री संस्थाएं

परिपत्र संख्या 259/2025 – 26

महोदया / प्रिय महोदय,

ऋणदात्री संस्थाओं को सूक्ष्म उद्यम के लिए ऋण गारंटी कवरेज प्रदान करने हेतु ऋण गारंटी योजना I (बैंकों) के अंतर्गत माइक्रो क्रेडिट कार्ड (एमसीसी) के लिए विशेष प्रावधान की शुरूआत

वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और सूक्ष्म उद्यमों की अल्पावधि नकदी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह निर्णय लिया गया कि सूक्ष्म उद्यमों को उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं/व्यवसाय संबंधी व्यय के वित्तपोषण के लिए माइक्रो क्रेडिट कार्ड (एमसीसी) प्रदान करने वाली ऋणदात्री संस्थाओं को प्राथमिक प्रतिभूति पर जोर दिए बिना गारंटी कवरेज देने के लिए एक विशेष प्रावधान शुरू किया जाए।

इस विशेष प्रावधान के तहत, सभी उद्यम पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों को माइक्रो क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली ऋणदात्री संस्थाएं /क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता इस गारंटी कवरेज के लिए पात्र होंगे। माइक्रो क्रेडिट कार्ड सुविधा एक रिवॉल्विंग क्रेडिट सुविधा होगी जिसमें प्रति उधारकर्ता 5 लाख रुपये की अधिकतम ऋण सीमा होगी। विशेष प्रावधान के तहत गारंटी कवरेज, डिफ़ॉल्ट अमाउंट या क्रेडिट कार्ड लिमिट का 75%, जो भी कम हो, होगा, चाहे उधारकर्ता की श्रेणी कुछ भी हो और इस प्रावधान के तहत कवर की गई सुविधाओं के लिए प्राथमिक प्रतिभूति आवश्यक नहीं होगी। चाहे उधारकर्ता की श्रेणी कुछ भी हो विशेष प्रावधान के तहत लागू वार्षिक गारंटी शुल्क 0.55% होगा। लक्षित लाभार्थी वर्ग के सूक्ष्म उद्यम होने को ध्यान में रखते हुए इस विशेष प्रावधान के तहत कोई जोखिम प्रीमियम नहीं लगाया जाएगा। इस विशेष प्रावधान के तहत जारी गारंटियों पर लागू लॉक-इन अवधि गारंटी शुरू होने की तारीख से 9 महीने होगी।

माइक्रो क्रेडिट कार्ड के लिए विशेष प्रावधान लॉन्च की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए या 10 लाख माइक्रो क्रेडिट कार्ड जारी होने तक, जो भी पहले हो, वैध रहेगा।

ऋण मूल्यांकन, खाता वर्गीकरण और परिसंपत्ति गुणवत्ता की निगरानी, जिसमें मंजूरी के समय एसएमए स्थिति का आकलन भी शामिल है, की जिम्मेदारी नियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन सहित ऋणदात्री संस्था/क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता की होगी।

योजना की रूपरेखा **अनुलग्नक I** में दी गई है। कवरेज के लिए आवेदन जमा करने, समयसीमा, शुल्क प्रक्रिया का भुगतान, एनपीए मार्किंग, गारंटी आह्वान, दावा निपटान, वसूली आदि के संबंध में सभी दिशानिर्देश सीजीटीएमएसई की क्रेडिट गारंटी योजना-I (बैंकों के लिए) के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार होंगे।

कृपया इस परिपत्र की विषय-वस्तु को अपने सभी कार्यालयों के ध्यान में लाएँ ।

भवदीय ,

ह/-

(धीरज कुमार)

उप महाप्रबंधक

संलग्नक I

ऋणदात्री संस्थाओं को सूक्ष्म उद्यम के लिए ऋण गारंटी कवरेज प्रदान करने हेतु ऋण गारंटी योजना I (बैंकों) के अंतर्गत माइक्रो क्रेडिट कार्ड (एमसीसी) के लिए विशेष प्रावधान की शुरूआत

विशेष प्रावधान की मुख्य विशेषताएं:

1. **पात्र लाभार्थी:** सभी उद्यम पंजीकृत सूक्ष्म उद्यम जिनके पास अल्पकालिक और तदर्थ कार्यशील पूंजी की आवश्यकताएं हैं।
2. **पात्र एमएलआई:** भारतीय रिजर्व बैंक-विनियमित ऋणदात्री संस्थान/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) जो सूक्ष्म उद्यमों के लिए मॉडल योजना के तहत क्रेडिट कार्ड (एमई-कार्ड) जारी कर रही हैं।
3. **क्रेडिट कार्ड की अधिकतम सीमा:** ₹5 लाख प्रति उधारकर्ता।
4. **गारंटी कवरेज की सीमा:** , उधारकर्ता की किसी भी श्रेणी के लिए डिफ़ॉल्ट या क्रेडिट कार्ड सीमा में राशि का 75%, जो भी कम हो
5. **गारंटी कवरेज की वैधता:** गारंटी कवरेज इस परिपत्र के जारी होने की तारीख से 5 साल तक उपलब्ध होगा।
6. **गारंटी कवरेज के लिए पात्रता:** जन समर्थ पोर्टल (जेएसपी) से संदर्भ संख्या वाले ऐसे जारी कार्ड गारंटी कवरेज के लिए पात्र होंगे।
7. **प्राथमिक प्रतिभूति:** अनिवार्य नहीं।
8. **वार्षिक गारंटी शुल्क दर:** उधारकर्ता की श्रेणी के बावजूद क्रेडिट कार्ड की सीमा का 0.55% होगी। चूंकि सभी लाभार्थी सूक्ष्म उद्यम होंगे इसलिए कोई जोखिम प्रीमियम नहीं लगाया जाएगा।
9. **लॉक-इन अवधि:** गारंटी शुरू होने की तारीख से 9 महीने।
10. **योजना की अवधि:** लॉन्च की तारीख से 3 वर्ष या 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किए जाने तक, जो भी पहले हो।
11. मंजूरी के समय एसएमए स्थिति के आकलन सहित ऋण मूल्यांकन, खाता वर्गीकरण और आस्ति गुणवत्ता की निगरानी की जिम्मेदारी, नियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन सहित ऋणदात्री संस्थाओं/क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं की होगी।
12. कवरेज, समय-सीमा, शुल्क प्रक्रिया के भुगतान, एनपीए अंकन, गारंटी लागू करने, दावा निपटान, वसूली, आवेदन जमा करने आदि के संबंध में सभी दिशा-निर्देश सीजीटीएमएसई की क्रेडिट गारंटी योजना-I के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार होंगे।

*****